प्रा.सं0-47/का-4 सा.1/2003

सं० 13024/1/2002-प्रशिक्षण -।।

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

ब्लाक- 4, पुराना जे. एन. यू. परिसर,
नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 2003

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों की सेवा शर्तों में सुधार।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 30-11-1999 के कार्यालय ज्ञापन सं० 13024/1/2000- प्रशि.।। को देखें जिसके द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को देय सत्कार भत्तें की दर बढ़ाकर 500/- रुपए प्रतिमाह की गई थी। इस विभाग के दिनांक 14-11- 2000 के सम संख्यक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रमुखों को भी 200/- रुपए प्रतिमाह की दर से उपर्युक्त सत्कार भत्ता दिया जाना तय किया गया था।

2. अब निम्नलिखित के बारे में स्पस्टीकरण मांगा गया है:

(क) क्या उपर्युक्त भत्ता कर योग्य आय के शीर्ष के अन्तर्गत शामिल किया जाना है,

(ख) क्या अधिकारी के छुट्टी पर चले जाने / बीमार हो जाने पर सत्कार भत्ते के भुगतान के संबंध में कोई कटौती / वसूली की जानी है।

3. उपर्युक्त के बारे में स्थिति निम्नानुसार स्पस्ट की जाती है:

(क) आयकर अधिनियम की धारा 10 (14) के अन्तर्गत उपर्युक्त भत्ते पर आयकर से छुट दी गई है।

(ख) सत्कार भत्ते को परिवहन भत्ते के समान माना जाए। दूसरे शब्दों में, परिवहन भत्ते की तरह, छुट्टी / प्रशिक्षण / दौरा आदि के कारण ड्यूटी से 30 दिन से अधिक की अनुपस्थिति के दौरान सत्कार भत्ता भी देय नहीं होगा।

4. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 10-12-2002 की आई. डी. संख्या 851/ ई आई वी / 2002 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के अधिकारियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(सुश्री) विनोद जिंदल
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग (मानक सूची के अनुसार) 3/1/12